

आदेश

आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन-2019 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में 28- मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी दो विधान सभा क्षेत्र एवं 40- जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के एक विधान सभा क्षेत्र के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक नामित किया जाता है। सभी सहायक व्यय प्रेक्षकों, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशिक्षित किये जायेंगे तथा संबंधित विभिन्न टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र में Expenditure Monitoring करेंगे। व्यय प्रेक्षक से संबंधित भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Accounting Team, Static Surveillance Team का गठन किया जाता है। गठित टीम तत्काल प्रभाव से कार्य करेंगे।

1. सहायक व्यय प्रेक्षक (Assistant expenditure Observer)

मुंगेर जिला में सभी तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिये निम्न प्रकार से सहायक व्यय प्रेक्षक नामित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	लोक सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	सहायक व्यय प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम	मोबाईल संख्या
1	40- जमुई	164- तारापुर	श्री सुबोध दास, उप शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, राजवाटी, बड़ी बाजार, मुंगेर।	7250741028
	28- मुंगेर	165- मुंगेर	श्री रवि कुमार, सिनियर मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बड़ी बाजार, मुंगेर।	8298196461
		166- जमालपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद मंडल, सिनियर मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ी बाजार, मुंगेर।	9771469002

नोट:- यह टीम अधिसूचना के दिन से कार्य करेगी।

2. विडियो निगरानी टीम (Video Surveillance Team)

लोक सभा चुनाव 2019- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार स्वच्छ, भयमुक्त एवं पारदर्शी चुनाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विधान सभा क्षेत्रों में प्रखंडवार विडियो निगरानी टीम (Video Surveillance Team) गठित की जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

- कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो एक से अधिक पदाधिकारी/कर्मि विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे तथा स्वयं भी मौजूद रहेंगे। छोटा कार्यक्रम होने पर किसी पदाधिकारी और विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति अवश्य करेंगे।
- जो भी कर्मि उक्त कार्य में लगाये जायेंगे, उन्हें आदर्श आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण का प्रशिक्षण अपने स्तर से देंगे।
- विडियोग्राफी शुरू करने से पहले जो टीम के सदस्य होंगे वे अपना नाम, पदनाम, सभा का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम, सभा का उद्देश्य, सभा की तिथि, स्थान इत्यादि का नाम लिखेंगे एवं विडियो में बोलकर voice recording करायेंगे।
- प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं विडियोग्राफर इस तरह से फोटो एवं विडियोग्राफी करेंगे कि सभी तरह का साक्ष्य जैसे कितने वाहन का उपयोग किया गया, कितने उपस्कर लगाये गये, कितने साईज का पंडाल शामियाना लगाया गया, कितने कटआउट, दरी, बैनर आदि का प्रयोग किया गया है वह विडियो में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ताकि आदर्श आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग यह आकलन कर सके कि उस कार्यक्रम में कितना खर्च किया गया है।

- कार्यक्रम के अंत में जो भी टीम के सदस्य एवं विडियोग्राफर रहेंगे वह उसी विडियो में अपना आवाज रेकॉर्ड करेंगे और उसमें बोलेंगे कि "गाड़ी की संख्या, कौन सी गाड़ी, कितना उपस्कर, कितने साईज का पंडाल, टेंट, शामियाना, कितने पोस्टर और कितने कटआउट इत्यादि लगाया गया है।"
- उपर्युक्त वर्णित सी0डी0 एवं एक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संलग्नक-ख '7' अपने क्षेत्र के video viewing team, accounting team एवं M.C.C. को तुरन्त उपलब्ध करायेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जो भी कार्यक्रम, सभा, रोड शो इत्यादि के लिए अनुमति देंगे उसकी प्रति आदर्श आचार संहिता, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग विडियो निगरानी टीम (video surveillance team) को देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस सभा, कार्यक्रम, रोड शो इत्यादि का अनुमति दे रहे है उसका आकलन कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि कितने संख्या में पदाधिकारी एवं विडियोग्राफर की आवश्यकता है, उसकी प्रतिनियुक्ति स्वयं या प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से करायेंगे। इसके लिए एक विशेष कोषांग की स्थापना अपने कार्यालय में करेंगे, जो सभी तरह के कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगे तथा विडियो निगरानी टीम पर भी निगरानी रखेंगे।

नोट:- यह टीम प्रेस नोट की तिथि से प्रभावी है।

3. विडियो अवलोकन टीम (Video Viewing Team)

जिलान्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार निम्न प्रकार से Video Viewing Team का गठन किया जाता है:-

क्र0सं0	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
1	164- तारापुर	श्री मती इन्दु कुमारी, सी0डी0पी0ओ0 सदर मुंगेर। मो0- 9431005553	श्री मती प्रिती प्रिया, महिला पर्यवेक्षिका, सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय, सदर मुंगेर। मो0- 7250855944
2	165- मुंगेर	श्री मती पुष्पा कुमारी, सी0डी0पी0ओ0 बरियारपुर। मो0- 9431005557	श्री मती विनिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय, बरियारपुर। मो0- 9304056617
3	166- जमालपुर	श्री मती सुभिता कुमारी, सी0डी0पी0ओ0 जमालपुर। मो0- 9431005551	श्री मती गौरी रानी, महिला पर्यवेक्षिका, सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय, जमालपुर। मो0- 9472991137

Video Viewing Team का दायित्व

- video surveillance team के द्वारा उपलब्ध करायी गई सी0डी0 एवं एनेक्चर-7 में दिये गये प्रतिवेदन का मिलान करेंगे।
- सी0डी0 के अवलोकन के उपरांत सभा आयोजन के क्रम में उपयोग लायी जाने वाली सामग्रियों एवं उसमें होने वाले खर्च का आकलन कर प्रतिवेदन तैयार करना तथा प्रतिवेदन को Accounting team को उपलब्ध कराना।
- व्यय प्रेक्षक/वरीय पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट:- यह टीम प्रेस नोट की तिथि से प्रभावी है।

4. लेखा टीम (Accounting Team)


क्र0 सं0	लोक सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	लेखा प्रेक्षक के प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं0	लेखा टीम में संलग्न कर्मी का नाम, पदनाम
1	40- जमुई	164- तारापुर	श्री कुन्दन लाल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समिति सहकारिता कार्यालय, मुंगेर। मो0- 9304555223	मो0 शद्दाम अख्तर अंसारी, (प्र0लि0) जिला अंकेक्षण कार्यालय, मुंगेर।

2		165- मुंगेर	श्री नवीन चन्द्र झा, डिवीजनल अकॉउन्ट ऑफिसर, पी0एच0ई0डी0 मुंगेर। मो0- 7870932449	श्री दीपक कुमार, (प्र0लि0) जिला सहकारिता कार्यालय, मुंगेर। मो0- 9431277585
3	24- मुंगेर	166- जमालपुर	श्री सरोज कुमार चौधरी, प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, पथ प्रमण्डल, मुंगेर। मो0- 6204447676	श्री संजय भारती, सिनियर Accountant अधिक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग मुंगेर। मो0- 9771241525

Accounting Team का दायित्व


1. विधानसभावार प्रत्येक अभ्यर्थी का Shadow Observation Register संधारित करना।
2. अभ्यर्थियों को दी गई व्यय लेखा पंजियों का निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर जांच करना तथा Shadow Register से मिलान करना।
3. अभ्यर्थीवार Shadow Register के साथ व्यय पंजी में दर्ज प्रत्येक व्यय से संबंधित साक्ष्य यथा- वाउचर, बिल, सी0डी0, पोस्टर-पंपलेट, न्यूज पेपर के कटिंग की जांच करना तथा Folder संधारित करना।
4. Accounting Team प्रत्येक दिन Video Surveillance Team, Video Viewing Team, Media expenditure Monitoring Team, Surveillance Team for tracking illegal cash transaction, Call Centre, Control Room एवं अन्य श्रोतों से व्यय संबंधी प्रतिवेदन एवं सूचना प्राप्त करना तथा इसी आधार पर प्रतिवेदन Shadow Register संधारित करना।
5. Shadow Register की जांच सहायक व्यय प्रेक्षक से कराना तथा यह सुनिश्चित कर लेना की अभ्यर्थीवार किसी प्रकार के व्यय को छोड़ा नहीं गया है।
6. व्यय प्रेक्षक एवं वरीय पदाधिकारी के द्वारा निदेशित अन्य संबंधित कार्य को करना।

नोट:- यह टीम प्रेस नोट की तिथि से प्रभावी है।


03/03/19
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक : 304 /नि0, दिनांक : 03/03/19

- प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण-सह-सांख्यिकी व्यय अनुश्रवण कोषांग, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधिक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : व्यय परीक्षक, भारत निर्वाचन आयोग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


03/03/19
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

